झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांकः– 2/पी०एम०सी०/कार्य–685/2019 – 10/(19-20)/515/राँची, दिनांक 01.07.2019

प्रेषक,

अरूण कुमार सिंह

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,

झारखण्ड

पो०–हिनू, राँची।

द्वारा :– आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :– सुरंगी जलाशय योजना के लिये रुपये 49.73 करोड़ (उन्चास करोड़ तिहत्तर लाख) मात्र के तृतीय पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश–स्वीकृत।

2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची प्रक्षेत्राधीन सुरंगी जलाशय योजना के लिये रुपये 49.73 करोड़ (उन्चास करोड़ तिहत्तर लाख) मात्र के तृतीय पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. सुरंगी जलाशय योजना राँची जिलान्तर्गत तमाड़ प्रखण्ड के विजयगीरी ग्राम के निकट सुरंगी नाला पर अवस्थित है। सुरंगी जलाशय योजना से दो मुख्य नहर निःसृत है। बायीं मुख्य नहर की लम्बाई 8.784 कि०मी० तथा दायीं मुख्य नहर की लम्बाई 13.10 कि०मी० है। योजना की कुल रूपांकित सिंचाई क्षमता 2105.26 हे० खरीफ एवं 496 हे० रब्बी है।

4. इस परियोजनान्तर्गत अबतक कराये गये कार्य निम्नवत् है –

   i. योजना के शीर्ष कार्य एवं स्पीलवे का निर्माण कार्य, एवं डैम से निःसृत आउटलेट का निर्माण कार्य पूर्ण है।

   ii. सुरंगी बांयी मुख्य नहर एवं दांयी मुख्य नहर का कार्य पूर्ण है।

   iii. योजना के कुल 4 वितरणी में से 03 (तीन) वितरणी का कार्य पूर्ण है।

5. परियोजना का कार्य जो वर्ष 2018–19 में कराया गया –

   i. दाँयी मुख्य नहर के Comissioning and Resectioning का कार्य कि०मी० 0.00 से 13.10 कि०मी० तक भौतिक रूप से पूर्ण हो चुका है।

   ii. बाँयी मुख्य नहर के कि०मी० 8.258 से निःसृत नागासरीन वितरणी में Comissioning and Resectioning का कार्य भी भौतिक रूप से पूर्ण हो चुका है।

iii. नागासरीन वितरणी के 0.66 कि०मी० पर R.C.C. Barrel Siphon, NH-33 के 201.795 कि०मी० पर निर्माण करावाया गया जो पूर्ण हो चुका है।

6. इस योजना के मदवार द्वित्तीय पुनरीक्षित प्राक्कलन एवं प्रस्तावित तृतीय पुनरीक्षित प्राक्कलन की राशि एवं किये गये व्यय की विवरणी निम्नवत् है :—

सुरंगी जलाशय योजना के तृतीय पुनरीक्षित प्राक्कलन की तुलनात्मक विवरणी :—

(लाख रू० में)

क्र०	मद का विवरण	द्वित्तीय पुनरीक्षित प्राक्कलन में प्रावधान	मार्च 2018 तक कुल व्यय	अवशेष कार्य (वर्त्तमान अनुसूचित दर पर)	प्रस्तावित तृतीय पुनरीक्षित प्राक्कलन में प्रावधान (लाख रू० में)	द्वित्तीय के सापेक्ष तृतीय पुनरीक्षित प्राक्कलन में प्रतिशत बढ़ोतरी
1	2	3	4	5	6	7
A.	**Direct Charges**					
1	A- Preliminary	54.560	56.189	0.000	56.189	2.99%
2.	B- Land	223.270	596.260	0.000	596.260	167.06%
3	C- Works	1308.800	1371.600	40.270	1411.870	7.88%
4.	D- Regulator	45.520	279.309	0.000	279.309	513.60%
5.	E- Fall	50.410	56.953	0.000	56.953	12.98%
6.	F- C.D. Works	278.430	150.133	50.480	200.613	-
7.	G- Bridges	67.000	171.474	0.000	171.474	155.93%
8.	H- Escape	6.600	43.045	0.000	43.045	552.20%
9.	K- Building	10.710	4.578	0.000	4.578	-
10.	L- Earth Works	400.430	517.600	185.200	702.800	75.51%
11.	M- Plantation	2.400	0.000	0.000	0.000	-
12.	O- Miscellaneous	38.720	36.899	0.500	37.399	-
13.	P- Maintenance	12.900	5.300	0.000	5.300	-
14	Q- Special T&P	7.840	0.000	0.000	0.000	-
15	R- Communication	38.550	38.550	0.000	38.550	-
16	U- Distributory & Minors	358.620	570.265	85.000	655.265	82.72
17	V- Water Course	96.440	59.360	0.000	59.360	-
18	Y- Loss in Stock	5.570	0.000	0.000	0.000	-
	Total I-Works -	**3006.770**	**3957.515**	**361.450**	**4318.965**	**43.64**
	Establishment	1084.540	457.570	0.000	457.570	-
	Small T&P	0.000	1.530	0.000	1.530	-
	Suspense	0.000	194.845	0.000	194.845	-
	Receipt & Recoveries	-3.760	0.000	0.000	0.000	-
	Total Direct Charges :-	**4087.550**	**4611.460**	**361.450**	**4972.910**	**21.66**
B	**Indirect Charges**	29.750	0.000	0.000	0.000	-
	Grand Total :-	**4117.300**	**4611.460**	**361.450**	**4972.910**	**20.78**
	Say :-				**Rs. 49.73 crore**	

तृतीय पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति हेतु मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची द्वारा रू० 49.7291 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी है।

7. योजना के अवशेष कार्यों को पूरा करने हेतु राज्य योजना मद से राशि उपलब्ध करायी जायेगी। योजना पर मार्च 2019 तक रू० 46.1146 करोड़ का व्यय हुआ है। वर्ष 2019–20 में आवंटन एवं व्यय शून्य है। योजना पूर्ण करने एवं कराये गये कार्य के भुगतान हेतु रू० 49.7291 – 46.1146 = 3.6145 करोड़ रूपये की आवश्यकता होगी।

8. योजना का अवशेष कार्य पूर्ण है।

9. द्वितीय पुनरीक्षित प्राक्कलन के आधार पर इस परियोजना का लाभ लागत अनुपात 5% ब्याज दर पर 1.996 तथा 10% ब्याज पर 1.165 है।

10. इस योजना पर होने वाला यह व्यय निम्नांकित बजट शीर्ष में विकलनीय होगा।

मुख्य शीर्ष '4701'– मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष –796– जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उपशीर्ष–74– मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत वर्ष 2011–12 में पूर्ण किए जानेवाले योजनाओं का, विस्तृत शीर्ष–05 निर्माण, 45–निर्माण कार्य'', जिसके अन्तर्गत वर्ष 2019–20 में रू० 3320.00 लाख का एकमुश्त प्रावधान है।

11. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची होंगे तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, बुण्डु होंगे।

12. कार्य के प्राक्कलन एवं प्रमुख अवयवों की जानकारी प्रमण्डलीय आयुक्त को उपलब्ध करा दी जायेगी।

13. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।

14. राशि की निकासी वित्त विभाग की परिपत्र सं०–2561 दिनांक 17.04.98 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के अधीन संबंधित कोषागार से की जायेगी।

15. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

16. प्रस्ताव पर राज्य योजना प्राधिकृति समिति एवं योजना –सह– वित्त मंत्री की स्वीकृति प्राप्त है।

17. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 18.06.2019 के मद सं०–13 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

18. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

19. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो०–हिनू, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

26.6.19

(अरूण कुमार सिंह)

सरकार के अपर मुख्य सचिव

पत्रांकः– 2/पी०एम०सी०/कार्य–685/2019 – 10/19-20 पं० श्री० /राँची, दिनांक 01.07.2019

प्रतिलिपि :– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को प्रेषण हेतु/योजना –सह– वित्त विभाग (योजना प्रभाग), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/7/19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांकः– 2/पी०एम०सी०/कार्य–685/2019 –10/19-20 पं० श्री० /राँची, दिनांक 01.07.2019

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, राँची कोषागार, राँची (कचहरी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/7/19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांकः– 2/पी०एम०सी०/कार्य–685/2019 – 10/19-20 पं० श्री० /राँची, दिनांक 01.07.2019

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/ अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1/2, जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, जल पथ अंचल, राँची/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, बुण्डु/कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्र०–3, जल संसाधन विभाग, राँची को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/ वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/7/19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांकः– 2/पी०एम०सी०/कार्य–685/2019 – 10/19-20 पं० श्री० /राँची, दिनांक 01.07.2019

प्रतिलिपि :– उपायुक्त, राँची को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायक को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

1/7/19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांकः– 2/पी०एम०सी०/कार्य–685/2019 – 10/19-20 पं० श्री० /राँची, दिनांक 01.07.2019

प्रतिलिपि :– मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

1/7/19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव